भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BH 115672

(प्रारूप–''अ'')

<u>सत्र 2023–24 में नवस्थापित की जाने वाली डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थाओं की सोसाइटी/ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले नोटरी शपथ–पत्र का प्रारूप</u>

हम श्रीमती बालेश (नाम अध्यक्ष) एवं श्री सचिन (नाम सचिव) क्रमशः अध्यक्ष एवं सचिव (सोसाइटी/ट्रस्ट का नाम एवं पता)–आयुष्मान ट्रस्ट गुरूकुल नारसन, हरिद्वार, उत्तराखण्ड, शपथपूर्वक निम्नवत् बयान करते है :–

1– यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा सालार कालेज आफ फार्मेसी छपार, जिला–मुजफ्फरनगर, उ0प्र0 नाम डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023–24 से किया जाना प्रस्तावित है।

बालेश

क्रम संख्या 5431 01/09/2023

स्टाम्प विक्रय की तिथि

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन आयुष्मान ट्रस्ट गुरुकुल [illegible]

क्रेता का नाम व पूरा पता [illegible]

द्वारा श्रीमती [illegible]

[illegible]

स्टाम्प की धनराशि 100

मोहम्मद अहमद सिद्दीकी (स्टाम्प विक्रेता)

लाइसेंस नं-125, लाइसेंस की अवधि-31-3-2028

सिविल कोर्ट, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)

2– यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम छपार जिला मुजफ्फरनगर मे भूमि खसरा संख्या 561 खाता संख्या 1110 व खसरा संख्या 562 खाता संख्या 1108 कुल रकबा 0.2800 हेक्टेयर व खसरा संख्या 507 खाता संख्या 1076 रकबा 0.1400 हेक्टेयर व खसरा संख्या 502 रकबा 0.6702 हेक्टेयर भूमि है।

3– यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय मे नही चल रहा है और भूमि विवाद रहित है।

4– यह कि उपरोक्त पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या, भूमि खसरा संख्या 561 खाता संख्या 1110 व खसरा संख्या 562 खाता संख्या 1108 कुल रकबा 0.2800 हेक्टेयर व खसरा संख्या 507 खाता संख्या 1076 रकबा 0.1400 हैक्टेयर व खसरा संख्या 502 रकबा 0.6702 हेक्टेयर भूमि पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी/ट्रस्ट की बैठक दिनांक 30–05–2021 द्वारा पारित किया गया है।

5– यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।

6– यह कि निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर

बालेश

सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

7– यह कि, इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मेसी काउन्सिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अन्तर्गत ही डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।

8– यह कि इस संस्था मे फार्मेसी काउन्सिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम मे प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

9– यह कि उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों मे फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आई0आई0टी0 आदि का संचालन न वर्तमान मे है और न ही भविष्य मे कभी किया जायेगा।

10– यह कि संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं को फार्मेसी काउन्सिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।

11– यह कि संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।

12– यह कि शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का भलीभांति पालन करूंगा। यदि मेरे संस्थान मे किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण मे मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नही की जायेगी।

13– मैं घोषणा करता/करती हूं कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी मे पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरूद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊंगा।

NOTARY

ह0 सचिव
सचिव
आयुष्मान ट्रस्ट
गुरुकुल नारसन, हरिद्वार (उ0खं0)

ह0 अध्यक्ष
अध्यक्ष
आयुष्मान ट्रस्ट
गुरुकुल नारसन (हरिद्वार)

SWORN & VERIFIED
BY ME

Ajeet Kumar Mathur
Advocate Notary
1, Faizabad Road, Lucknow